



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**



वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

फ़ोन - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01 / योबजट-22/2016-410 दिनांक : 05/06/21

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा वन प्रमण्डल/ दुमका वन प्रमण्डल/ साहेबगंज वन प्रमण्डल/ पाकुड़ वन प्रमण्डल/ लातेहार वन प्रमण्डल/ लोहरदगा वन प्रमण्डल/ गुमला वन प्रमण्डल/ खूंटी वन प्रमण्डल/ राँची वन प्रमण्डल/ सिमडेगा वन प्रमण्डल/ जमशेदपुर वन प्रमण्डल/ सरायकेला वन प्रमण्डल/ चाईबासा वन प्रमण्डल/ पोड़ाहाट वन प्रमण्डल/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर, जमशेदपुर/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार/ विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, चाईबासा।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजन) के अंतर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण, भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण तथा शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) हेतु कुल रु0 90.046 लाख (नब्बे लाख चार हजार छ: सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/योबजट-22/2016-06/स्वी0, व0प0 राँची दिनांक 30.05.2016 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/योबजट-32/2020- 03/आ0 व0प0 दिनांक 21.05.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु0 90.046 लाख (नब्बे लाख चार हजार छ: सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796580103	90.046
कुल :-		90.046

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क) से (ग) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

✓

प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 (क) से (ग) तथा ऑन लाइन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601796580103 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के समय पत्रांक-1254 दिनांक-20.07.2020 अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

7. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन के अनुरूप किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों/अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।



14. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या—940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

15. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्वपण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) सभी भुगतान मजदूरों/सामग्री को DBT/Bank खातों में ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

(V) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ—साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(VI) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ—साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VII) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VIII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(IX) योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय। वन प्रमंडल पदाधिकारी जाँच कर प्रतिवेदन देंगे।

(X) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(XI) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XII) श्रोत पर (St source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

18. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्ति ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / योबजट-22/2016-410 दिनांक- 05/06/21

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निर्देशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू हजारीबाग/ मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ पलामू/ राँची/ जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ देवघर/ मेदिनीनगर/ राँची/ गुमला/ जमशेदपुर/ चाईबासा/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्ति ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / योबजट-22/2016-410 दिनांक- 05/06/21

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, जामताड़ा/ दुमका/ साहेबगंज/ पाकुड़/ लातेहार/ लोहरदगा/ गुमला/ खूंटी/ डोरण्डा, राँची/ सिमडेगा/ जमशेदपुर/ सरायकेला-खरसावाँ/ चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्ति ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण' योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्रम सं०	कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हेतू में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			2272.71	0.00	2272.71
i	ii	iii	iv	v	vi
1	जामताडा वन प्रमंडल, जामताडा	130.00	2.955	0.000	2.955
2	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	120.00	2.727	0.000	2.727
3	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	60.00	1.364	0.000	1.364
4	पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़	105.00	2.386	0.000	2.386
5	लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार	120.00	2.727	0.000	2.727
6	लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा	100.00	2.273	0.000	2.273
7	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	150.00	3.409	0.000	3.409
8	खूंटी वन प्रमंडल, खूंटी	60.00	1.364	0.000	1.364
9	राँची वन प्रमंडल, राँची	160.00	3.636	0.000	3.636
10	सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा	150.00	3.409	0.000	3.409
11	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	310.00	7.045	0.000	7.045
12	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	150.00	3.409	0.000	3.409
13	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	90.00	2.045	0.000	2.045
14	पोड़ाहाटा वन प्रमंडल, चाईबासा	120.00	2.727	0.000	2.727
15	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची	170.00	3.864	0.000	3.864
16	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा	225.00	5.114	0.000	5.114
17	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर	150.00	3.409	0.000	3.409
18	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा	100.00	2.273	0.000	2.273
19	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	150.00	3.409	0.000	3.409
20	विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल, चाईबासा	45.00	1.023	0.000	1.023
योग :—		2665.00	60.568	0.000	60.568

अपर प्रधानि मुख्य वन संरक्षक, विकास,
सारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण
एवं भू-संरक्षण'' योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत वनभूमि पर
वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्रम सं०	कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			2272.71	0.00	2272.71
i	ii	iii	iv	v	vi
1	जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा	106.00	2.409	0.000	2.409
2	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	60.00	1.364	0.000	1.364
3	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	30.00	0.682	0.000	0.682
4	पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़	61.00	1.386	0.000	1.386
5	लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार	60.00	1.364	0.000	1.364
6	लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा	30.00	0.682	0.000	0.682
7	खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी	30.00	0.682	0.000	0.682
8	राँची वन प्रमंडल, राँची	60.00	1.364	0.000	1.364
9	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	90.00	2.045	0.000	2.045
10	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	120.00	2.727	0.000	2.727
11	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	60.00	1.364	0.000	1.364
12	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा	40.00	0.909	0.000	0.909
13	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर	120.00	2.727	0.000	2.727
14	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा	120.00	2.727	0.000	2.727
15	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	120.00	2.727	0.000	2.727
योग :-		1107.00	25.159	0.000	25.159

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत शीघ्र बढ़नेवाले पौधों का वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्रम सं०	कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेमेंट)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			2272.71	0.00	2272.71
i	ii	iii	iv	v	vi
1	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	40.00	0.909	0.000	0.909
2	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	60.00	1.364	0.000	1.364
3	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	60.00	1.364	0.000	1.364
4	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर	30.00	0.682	0.000	0.682
योग :-		190.00	4.319	0.000	4.319

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट बनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हेक्टर) / वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेक्टर) / शीघ्र बढ़ने वाले पौधों कारोपण (2500 पौधा प्रति हेक्टर)

पौधों की संख्या प्रति हेक्टर : 1000 पौधे

मजदूरी दर : 311.33 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3m x 3m अथवा 2m x 2m अथवा 3m x 2m (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० मे)	सामग्री (रु० मे)	कुल व्यय (रु० मे)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)						
1	पौधों की सुरक्षा	हेक्टर	7.30	2272.71		2272.71	
योग :-			7.30	2272.71	0.00	2272.71	
(B)	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)						
1	पौधों की सुरक्षा	हेक्टर	7.30	2272.71		2272.71	
योग :-			7.30	2272.71	0.00	2272.71	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शोर्ख के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-22/2016/410

दिनांक -

05-Jun-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित बनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24931	JMTFOR001 BANKAR AJINKYA DEVIDAS D.F.O. JAMTARA 03 - मजदूरी	536,400.00 रुपये पाँच लाख छहतीस हजार चार सौ
2	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित बनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24932	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA 03 - मजदूरी	500,000.00 रुपये पाँच लाख
3	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित बनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24933	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 03 - मजदूरी	204,600.00 रुपये दो लाख चार हजार छः सौ
				State Scheme : NA Central Scheme : NA

योग:

रुपये बारह लाख इकतालीस हजार

1,241,000.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)

SADDI, PANCHMUKH, JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भने	24934	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER 03 - मजदुरी	377,200.00 रुपये तीन लाख सित्योत्तर हजार तीन सौ

State Scheme : NA
Central Scheme : NA

5	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भने	24935	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR 03 - मजदुरी	409,100.00 रुपये चार लाख नौ हजार एक सौ
---	---	-------	---	---

State Scheme : NA
Central Scheme : NA

6	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भने	24936	LDGFOR001 SRI ARVIND KUMAR DIV.FOREST OFFICER 03 - मजदुरी	295,500.00 रुपये दो लाख पिंचानवे हजार पाँच सौ
---	---	-------	--	---

State Scheme : NA
Central Scheme : NA

योगः	रुपये तेहस लाख बाइस हजार आठ सौ	1,081,800.00
क्रमिक योगः		2,322,800.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24937	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA 03 - मजदुरी	340,900.00 रुपये तीन लाख चालीस हजार नौ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
8	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24938	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI 03 - मजदुरी	204,600.00 रुपये दो लाख चार हजार छ: सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
9	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24939	DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO. RANCHI FORES DIVISION RA 03 - मजदुरी	500,000.00 रुपये पाँच लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:	रुपये तैतीस लाख अडसठ हजार तीन सौ			1,045,500.00
क्रमिक योग:				3,368,300.00
			(NAND KISHORE SINGH) RANCH	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24940	SDGFOR002 ARVIND KUMAR GUPTA DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD 03 - मजदुरी	340,900.00 रुपये तीन लाख चालीस हजार रुपये
11	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24941	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHPUR PRM.JSR. 03 - मजदुरी	1,045,400.00 रुपये दस लाख पैंतालीस हजार चार रुपये
12	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24942	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN 03 - मजदुरी	750,000.00 रुपये सात लाख पचास हजार
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
योग:		रुपये पचपन लाख चार हजार छ: रुपये		2,136,300.00
क्रमिक योग:				5,504,600.00

NAND KISHORE SINGH
SARAI KOTLA DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24943	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV. 03 - मजदुरी	340,900.00 रुपये तीन लाख चालीस हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
14	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24944	SGHFOR003 SRI. NITISH KUMAR (IFS) D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	272,700.00 रुपये दो लाख बहतर हजार सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
15	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24945	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 03 - मजदुरी	386,400.00 रुपये तीन लाख छियासी हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योगः	रुपये पैसठ लाख चार हजार छ: सौ			1,00,00,000.00
क्रमिक योगः:				6,504,600.00
			(NAND KISHORE SINGH) ADDL. POCE DEV JHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24946	SDGAI002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA 03 - मजदुरी	602,300.00 रुपये छ: लाख दो हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
17	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24947	JSRFOR116 SUNIL KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR. 03 - मजदुरी	681,800.00 रुपये छ: लाख इक्कहासी हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
18	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24948	SGHFOR001 SRI. MAHALING (I.F.S.) D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA 03 - मजदुरी	500,000.00 रुपये पौंच लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:				1,784,100.00
क्रमिक योग:				8,288,700.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24950	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAF 03 - मजदुरी	613,600.00 रुपये ६: लाख तेरह हजार ४: सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
20	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24951	SGHFOR012 SRI ANIL KUMAR SHRIVASTAWA D.F.O. W. F. PRO.DIV.CBSA. 03 - मजदुरी	102,300.00 रुपये एक लाख दो हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योगः

रुपये नब्बे लाख चार हजार ४: सौ

715,900.00

क्रमिक योगः

9,004,600.00

 (NAND KISHORE SINGH)
 NALI-PCCE DEV JHARKHAND